छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकलपीठ : माननीय श्री न्यायमूर्ति मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव

दांडिक याचिका विविध क्रमांक 523/2011

आवेदक रविन्द्र तिवारी

विरुद्ध

अनावेदकगण छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश

आदेश हेतु दिनांक 03 फरवरी, 2012 को सूचीबद्ध करे

हस्ताक्षरित/-

(मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव)

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकलपीठ : माननीय श्री न्यायमूर्ति मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव

दांडिक याचिका विविध क्रमांक 523/2011

आवेदक रविन्द्र तिवारी

बनाम

अनावेदकगण छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

(दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के अंतर्गत याचिका)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थिति :

श्री पराग कोटेचा, आवेदक की ओर से अधिवक्ता।

श्री वैभव गोवर्धन, राज्य/ अनावेदक क्रमांक 1 की ओर से पैनल अधिवक्ता।

श्री सुनील साहू, अनावेदक क्रमांक 2 से 4 की ओर अधिवक्ता।

आदेश

(दिनांक 03.02.2012 को पारित)

1.दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के अंतर्गत प्रस्तुत यह याचिका संहिता की धारा 210 में निहित प्रावधान के क्षेत्र एवं परिधि से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न के निर्धारण से संबंधित

है। विचारार्थ जो प्रश्न उत्पन्न होता है वह यह है कि ऐसी स्थिति में, जब किसी अपराध के संबंध में पुलिस प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा चुका हो तथा मजिस्ट्रेट द्वारा उस पर संज्ञान लेकर उसे विचारण हेतु उपार्पण कर दिया गया हो, क्योंकि वह ऐसा अपराध है जिसका विचारण विशिष्ट रूप से सत्र न्यायालय द्वारा किया जाना है, तब उसके पश्चात उसी अपराध के संबंध में किसी परिवाद का प्रस्तुत किया जाना उसी अपराध के संबंध में, क्या संहिता की धारा 210 में निहित प्रावधान लागू होगा और क्या उसके परिणामस्वरूप विचारण को स्थगित किया जाना अनिवार्य होगा?

2.अभिलेख में उपलब्ध तथ्यों से संक्षेप में जो आवश्यक तथ्य प्राप्त होते हैं, वे यह हैं कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 306 सहपठित धारा 34 के अंतर्गत अपराध किए जाने के आरोप पर अपराध क्रमांक 308/2010 पुलिस थाना डोंगरगढ़ में दर्ज किया गया। इस मामले में पुलिस द्वारा विवेचना की गई और विवेचना पूर्ण होने पर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के अंतर्गत आरोप-पत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, डोंगरगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया गया।अंतिम प्रतिवेदन में परिलक्षित आरोपों का सार यह है कि मृतक बृजेश तिवारी का भावना श्रीवास्तव नामक युवती के साथ प्रेम संबंध था और दोनों महासमुंद चले गए थे तथा लगभग 15 दिनों के बाद वापस लौटे। इसके पश्चात बृजेश तिवारी और भावना अपने-अपने घरों में रहने लगे, किन्तु आरोपी विजय मिश्रा, चंद्रकांत उर्फ टिंकू मेश्राम तथा राहुल पांडे द्वारा बृजेश को डराया-धमकाया जाने लगा तथा उसे भावना के साथ अपने संबंध समाप्त करने के लिए बाध्य किया जाने लगा।यह आरोप है कि उक्त तीनों आरोपियों द्वारा दी जा रही धमकियों से उत्पीड़ित होकर बृजेश ने विष का सेवन कर आत्महत्या कर ली।मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लेने के पश्चात यह पाते हुए कि उक्त अपराध का विचारण विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा किया जाना है, प्रकरण को विचारण हेतु सत्र न्यायालय

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

को उपार्पण कर दिया गया, जिसके फलस्वरूप सत्र वाद क्रमांक 3/10 (छत्तीसगढ़ राज्य बनाम चंद्रकांत उर्फ टिंकू मेश्राम एवं अन्य) के रूप में पंजीबद्ध हुआ।

3.इस प्रकार प्रकरण की स्थिति होने पर, आवेदक, जो कि मृतक बृजेश का भाई है, ने न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष एक परिवाद प्रस्तुत किया न्यायिक मजिस्ट्रेट, डोंगरगढ़ के समक्ष सत्र वाद क्रमांक 3/10 के तीनों आरोपियों के विरुद्ध तथा इसके अतिरिक्त राजकुमार ठुठावा, कृष्णा श्रीवास्तव, गोविन्द श्रीवास्तव एवं रवि श्रीवास्तव के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302, 34 एवं 120-ख के अंतर्गत अपराध किए जाने का आरोप लगाते हुए परिवाद प्रस्तुत किया गया। वर्तमान याचिकाकर्ता/परिवादी के अनुसार, यद्यपि बृजेश की हत्या किए जाने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी तथा शिकायत में उल्लिखित सभी आरोपियों के विरुद्ध आरोप लगाए गए थे, तथापि पुलिस द्वारा समुचित विवेचना नहीं की गई और केवल तीन व्यक्तियों, अर्थात चंद्रकांत उर्फ टिंकू, राहुल एवं विजय कुमार मिश्रा के विरुद्ध ही अपराध पंजीबद्ध किया गया तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 306 सहपठित धारा 34 के अंतर्गत अपराध का आरोप लगाते हुए आरोप-पत्र प्रस्तुत कर दिया गया, जबकि याचिकाकर्ता के अनुसार शिकायत में उल्लिखित सभी आरोपी बृजेश की हत्या करने के दोषी हैं।न्यायिक मजिस्ट्रेट ने परिवाद का परीक्षण करते हुए परिवादी का शपथ पर कथन दर्ज किया तथा परिवादी के गवाहों के प्रारंभिक बयान भी अभिलिखित किए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. इस चरण पर, याचिकाकर्ता ने लंबित सत्र विचारण में दो आवेदन प्रस्तुत किए। इनमें से एक आवेदन दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 301(2) एवं 302 के अंतर्गत था तथा दूसरा आवेदन दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 210 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया बताया गया।दोनों आवेदनों का

विनिश्चय सत्र न्यायाधीश द्वारा दिनांक 02.08.2011 के आदेश के माध्यम से किया गया। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 301(2) के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन को स्वीकार कर लिया गया, जबकि धारा 210 के अंतर्गत याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया गया कि कार्यवाही को स्थगित करने के लिए पर्याप्त आधार उपलब्ध नहीं हैं। आवेदक की प्रार्थना यह है कि जिस घटना के संबंध में सत्र विचारण लंबित है, उसी घटना के संबंध में परिवाद प्रस्तुत किया गया है, अतः उक्त विचारण स्थगित किया जाना चाहिए, अन्यथा एक ही घटना और आरोप के संबंध में आरोपियों के विरुद्ध दो अलग-अलग मामलों का सामना करने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जो उसी घटना से उत्पन्न हुए हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 210 के अंतर्गत याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन को अस्वीकार किए जाने की सीमा तक पारित आदेश से असंतुष्ट होकर, आवेदक ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत न्यायालय की निहित शक्तियों का प्रयोग करने का निवेदन किया है, ताकि न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि वर्तमान प्रकरण में विद्यमान परिस्थिति में, जहाँ आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप के संबंध में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 306 सहपठित धारा 34 के अंतर्गत तीन आरोपियों के विरुद्ध सत्र विचारण लंबित है, वहीं आवेदक ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत अपराध किए जाने का आरोप लगाते हुए परिवाद प्रस्तुत किया है, जो न केवल उन तीन आरोपियों के विरुद्ध है जिनके विरुद्ध विचारण चल रहा है, बल्कि कुछ अन्य आरोपियों के विरुद्ध भी है, जिनके कथित रूप से अपराध में संलिप्त होने का आरोप है।इस प्रकार की स्थिति में, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 210

के प्रावधान पूर्णतः लागू होते हैं और विचारण को स्थगित किए जाने का अनिवार्य निर्देश देते हैं। यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि संहिता की धारा 210 के अंतर्गत स्थापित विधिक योजना की भावना न्यायालय को यह दायित्व सौंपती है कि वह विचारण को स्थगित करे तथा याचिकाकर्ता द्वारा दायर परिवाद के आधार पर प्रारंभ की गई कार्यवाही के परिणाम की प्रतीक्षा करे।अपने तर्क के समर्थन में यह भी कहा गया कि पुलिस द्वारा दर्ज रिपोर्ट की समुचित विवेचना नहीं की गई और जबकि सात व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत अपराध किए जाने का मामला बनता है, पुलिस की विवेचना गलत दिशा में की गई जिसका परिणाम यह हुआ कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के अंतर्गत अभियोग-पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें केवल तीन आरोपियों को ही अभियुक्त बनाया गया और वह भी भारतीय दण्ड संहिता की धारा 306 सहपठित धारा 34 के अंतर्गत अपराध किए जाने के लिए।अतः आवेदक को विधि द्वारा प्रदत्त प्रक्रिया का सहारा लेते हुए मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद प्रस्तुत करना पड़ा, जो वर्तमान में जांच के अधीन है। उन्होंने यह तर्क प्रस्तुत किया कि जब उसी घटना से उत्पन्न परिवाद लंबित है, और यदि उस स्थिति में मजिस्ट्रेट भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302, 34 एवं 120-(ख)के अंतर्गत सभी आरोपियों के विरुद्ध संज्ञान ले लेते हैं, जिनमें वे तीन आरोपी भी सम्मिलित हैं जो पहले से ही विचारण का सामना कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह प्रकरण को विचारण हेतु सत्र न्यायालय को उपार्पण करे।यदि वर्तमान में लंबित परीक्षण को स्थगित नहीं किया जाता, तो एक विसंगतिपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिसमें सत्र न्यायालय को लंबित परीक्षण को पुनः सुनवाई करना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त, यदि परिवाद की कार्यवाही पूर्ण होने से पूर्व ही विचारण का सामना कर रहे तीनों आरोपियों को दोषसिद्ध या

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दोषमुक्त कर दिया जाता है, तो और भी जटिल परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं।अतः न्याय के हित में यह आवश्यक है कि लंबित परीक्षण की आगे की कार्यवाही को स्थगित रखा जाए, जब तक कि परिवाद की कार्यवाही का परिणाम प्राप्त न हो जाए, जो या तो परिवाद की खारिजी में परिणत हो सकता है अथवा विचारण हेतु सत्र न्यायालय को उपार्पण में अपने तर्कों को पुष्ट करने के लिए आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 210(2) में निहित प्रावधानों तथा नामथोटी शंकरम्मा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य[1], जोसेफ बनाम जोसेफ[2], तथा दिलावर सिंह बनाम दिल्ली राज्य[3], के प्रकरणों में दिए गए निर्णयों पर भी भरोसा किया।

7. दूसरी ओर, राज्य/अनावेदक क्रमांक 1 के विद्वान अधिवक्ता तथा अनावेदक क्रमांक 2 से 4 के विद्वान अधिवक्ताओं ने आवेदक की प्रार्थना का विरोध करते हुए याचिका को खारिज किए जाने का निवेदन किया। उनका तर्क था कि आक्षेपित आदेश में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 210 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन स्वयं विधि तथा तथ्यों दोनों की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है।यह तर्क दिया गया कि संहिता की धारा 210 में निहित प्रावधान केवल उसी स्थिति में लागू होते हैं, जो उस धारा में विशेष रूप से निर्दिष्ट की गई है, न कि किसी अन्य स्थिति में; और विशेष रूप से उस स्थिति में तो बिल्कुल नहीं, जिसमें वर्तमान प्रकरण में आवेदन प्रस्तुत किया गया है।आगे यह भी कहा गया कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 210 उस स्थिति में लागू नहीं होती, जब पुलिस द्वारा धारा 173 के अंतर्गत प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन के आधार पर मजिस्ट्रेट द्वारा प्रकरण को सत्र न्यायालय को उपार्पण किए जाने के पश्चात सत्र विचारण प्रारंभ हो चुका हो।यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि यह ऐसा मामला नहीं है, जिसमें मजिस्ट्रेट के समक्ष जांच या विचारण लंबित हो और यह प्रतीत कराया गया हो कि उसी अपराध के संबंध में पुलिस विवेचना जारी है।वर्तमान प्रकरण में तो स्थिति यह है कि आरोप-पत्र प्रस्तुत

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

---

[1] 2000 क्रि.ला.ज. 4831 (आंध्र प्रदेश)

[2] 1982 क्रि.ला.ज. 595 (केरल)

[3] 2007 ए.आई.आर.एस.सी.डब्लू 5899

किए जाने के काफी समय बाद परिवाद प्रकरण दायर किया गया है, और ऐसी स्थिति में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 210 में निहित कोई भी प्रावधान लागू नहीं होता।

8. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों को सुना तथा अभिलेखों का परशीलन किया।

9. वर्तमान याचिका में उत्पन्न विवाद का निराकरण करने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 210 में निहित सुसंगत प्रावधानों का विचारण करना उपयुक्त होगा, जिन्हें नीचे उद्धृत किया जा रहा है—

"210. ऐसी स्थिति में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया जब एक ही अपराध के संबंध में परिवाद प्रकरण तथा पुलिस विवेचना दोनों हों।—(1) जब किसी ऐसे मामले में, जो पुलिस प्रतिवेदन के अतिरिक्त अन्य प्रकार से संस्थित किया गया हो (जिसे आगे 'परिवाद प्रकरण' कहा जाएगा), मजिस्ट्रेट के समक्ष उसके द्वारा की जा रही जांच या विचारण के दौरान यह प्रतीत हो कि जिस अपराध के संबंध में वह जांच या विचारण कर रहा है, उसी अपराध के संबंध में पुलिस द्वारा विवेचना प्रचलित है, तो मजिस्ट्रेट ऐसी जांच या विचारण की कार्यवाही को स्थगित करेगा तथा विवेचना कर रहे पुलिस अधिकारी से उस विषय में प्रतिवेदन मंगाएगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(2)यदि विवेचना कर रहे पुलिस अधिकारी द्वारा धारा 173 के अंतर्गत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है और उस प्रतिवेदन के आधार पर मजिस्ट्रेट किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध किसी अपराध का संज्ञान लेता है जो परिवाद प्रकरण में अभियुक्त है, तो मजिस्ट्रेट परिवाद प्रकरण तथा पुलिस प्रतिवेदन से उत्पन्न प्रकरण दोनों की जांच या विचारण एक साथ करेगा, जैसे दोनों प्रकरण पुलिस प्रतिवेदन के आधार पर संस्थित किए गए हों।

(3) यदि पुलिस प्रतिवेदन परिवाद प्रकरण के किसी अभियुक्त से संबंधित नहीं है, अथवा मजिस्ट्रेट पुलिस प्रतिवेदन के आधार पर किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेता है, तो वह उस

जांच या विचारण की कार्यवाही को आगे बढ़ाएगा, जिसे पूर्व में स्थगित किया गया था उसके द्वारा स्थगित की गई कार्यवाही को इस संहिता के प्रावधानों के अनुसार आगे बढ़ाएगा।

10. यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 210, जिसे ऊपर उद्धृत किया गया है, संहिता के अध्याय16 में निहित है, जो मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही के प्रारंभ से संबंधित है।धारा 204 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट को आदेशिका जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया है। धारा 209 में यह प्रावधान है कि जब कोई अपराध विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय हो, तब मजिस्ट्रेट उस प्रकरण को सत्र न्यायालय को उपार्पण करेगा। इसके पश्चात उसी अध्याय में आने वाली धारा 210 में उन परिस्थितियों में मजिस्ट्रेट द्वारा विधि के अनुसार अपनाई जाने वाली कार्यवाही का प्रावधान किया गया है, जिनका पूर्ण रूप से उल्लेख उपधारा (1) में किया गया है।जिस परिस्थिति का उल्लेख किया गया है वह यह है कि जब कोई प्रकरण पुलिस प्रतिवेदन के अतिरिक्त अन्य प्रकार से संस्थित किया गया हो, अर्थात् परिवाद प्रकरण, और मजिस्ट्रेट के समक्ष उसके द्वारा की जा रही जांच या विचारण के दौरान यह प्रतीत हो कि उसी अपराध के संबंध में पुलिस द्वारा विवेचना चल रही है, जो उस जांच या परीक्षण का विषय है, तब मजिस्ट्रेट उस जांच या परीक्षण की कार्यवाही को स्थगित करेगा तथा विवेचना कर रहे पुलिस अधिकारी से उस विषय में प्रतिवेदन मंगाएगा।अतः दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 210 के प्रावधानों के लागू होने के लिए, जिसके अंतर्गत मजिस्ट्रेट को अपने समक्ष लंबित रही जांच या विचारण की कार्यवाही को स्थगित करना आवश्यक हो जाता है, यह आवश्यक है कि उस अपराध के संबंध में, जो जांच या परीक्षण का विषय है, पुलिस द्वारा विवेचना प्रचलित हो। इससे तर्कसंगत रूप से यह निष्कर्ष निकलता है कि उपरोक्त प्रावधान से यह स्पष्ट होता है कि जांच या विचारण की कार्यवाही को स्थगित करने

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

की शक्ति केवल उसी स्थिति में उपलब्ध होती है, जब यह प्रतीत कराया जाए कि जिस अपराध के संबंध में मजिस्ट्रेट जांच या विचारण कर रहा है, उसी अपराध के संबंध में पुलिस द्वारा विवेचना है।यह प्रावधान किसी अन्य परिस्थिति या स्थिति से संबंधित नहीं है, और विशेष रूप से उस स्थिति से तो बिल्कुल नहीं, जब परिवाद प्रकरण दायर होने से पूर्व ही पुलिस विवेचना पूर्ण हो चुकी हो तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के अंतर्गत आरोप-पत्र प्रस्तुत किया जा चुका हो, जिस पर मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान भी ले लिया गया हो और यह पाया गया कि मामला ऐसे अपराध से संबंधित है जिसका विचारण विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा किया जाना है, प्रकरण को पहले ही सत्र न्यायालय को उपार्पण किया जा चुका हो।दूसरे शब्दों में, यदि परिवाद दायर किए जाने की तिथि पर पुलिस विवेचना जारी नहीं है तथा लंबित नहीं है, तो दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 210 के कोई भी प्रावधान लागू नहीं होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 210 की उपधारा (2) एवं (3), उपधारा (1) से स्वतंत्र नहीं हैं, जिससे यह कहा जा सके कि वे उपधारा (1) में वर्णित परिस्थिति के अतिरिक्त किसी अन्य स्थिति में मजिस्ट्रेट की शक्ति से संबंधित हैं।दोनों उपधाराएँ (2) और (3) “यदि ” शब्द से प्रारंभ होती हैं, जो कि विधायिका के आशय को बताता है।अतः धारा 210 में निहित प्रावधान मजिस्ट्रेट द्वारा अपनाई जाने वाली कार्यवाही का निर्देश केवल उसी स्थिति में देता है, जब मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित जांच या विचारण के दौरान यह मजिस्ट्रेट के संज्ञान में लाया जाए कि उसी अपराध के संबंध में पुलिस द्वारा विवेचना प्रचलित है, जो उसके द्वारा की जा रही जांच या परीक्षण का विषय है। ऐसी स्थिति में उपधारा (1) में वर्णित स्थिति में, मजिस्ट्रेट के लिए यह अनिवार्य है कि वह अपने समक्ष चल रही जांच या विचारण की कार्यवाही को स्थगित करे तथा उस विषय में विवेचना कर

रहे पुलिस अधिकारी से प्रतिवेदन मंगाए।उपधाराएँ (2) और (3) पुलिस अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर, विधि के अनुसार आगे अपनाई जाने वाली कार्यवाही का प्रावधान करती हैं।

12. यदि विवेचना अधिकारी द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के अंतर्गत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है और उस प्रतिवेदन के आधार पर मजिस्ट्रेट परिवाद प्रकरण के किसी अभियुक्त के विरुद्ध किसी अपराध का संज्ञान लेता है, तो मजिस्ट्रेट के लिए यह आवश्यक होगा कि वह परिवाद प्रकरण तथा पुलिस प्रतिवेदन से उत्पन्न प्रकरण दोनों की जांच या विचारण एक साथ करे, जैसे दोनों प्रकरण पुलिस प्रतिवेदन के आधार पर ही संस्थित किए गए हों।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हालांकि यदि पुलिस प्रतिवेदन परिवाद प्रकरण के किसी अभियुक्त से संबंधित नहीं है, अथवा मजिस्ट्रेट पुलिस प्रतिवेदन के आधार पर किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेता, तो मजिस्ट्रेट उस जांच या विचारण की कार्यवाही को आगे बढ़ाएगा, जिसे उसने पूर्व में स्थगित किया था, और यह कार्यवाही संहिता के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी।

13. अतः यह स्पष्ट है कि उपधाराएँ (2) और (3) उपधारा (1) में वर्णित स्थिति के अतिरिक्त किसी अन्य परिस्थिति से संबंधित नहीं हैं।ये दोनों उपधाराएँ अर्थात् उपधारा (2) एवं (3) केवल उस स्थिति में मजिस्ट्रेट द्वारा अपनाई जाने वाली आगे की कार्यवाही का निर्धारण करती हैं, जो उस पुलिस प्रतिवेदन के परिणाम पर निर्भर करती है, जिसे मजिस्ट्रेट ने संहिता की धारा 210 की उपधारा (1) के अंतर्गत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए जांच या विचारण की कार्यवाही स्थगित

करने के पश्चात मंगाया था। जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया गया है, दोनों उपधाराएँ "यदि " शब्द से प्रारंभ होती हैं। यह बात उपधारा (3) को पढ़ने से भी स्पष्ट हो जाती है, जिसमें उपधारा (1) से इसका संबंध स्थापित करते हुए कहा गया है कि मजिस्ट्रेट उस जांच या विचारण की कार्यवाही को आगे बढ़ाएगा, जिसे उसके द्वारा पूर्व में स्थगित किया गया था।

14. अतः उपर्युक्त चर्चा से जो विधायी योजना स्पष्ट रूप से उभरकर सामने आती है, वह यह है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 210 के प्रावधानों को लागू करने तथा मजिस्ट्रेट को विचारण की कार्यवाही स्थगित करने की शक्ति प्रदान करने के लिए यह आवश्यक शर्त है कि परिवाद दायर किए जाने की तिथि पर पुलिस द्वारा विवेचना जारी हो तथा लंबित हो।उपरोक्त सिद्धांत का आवश्यक परिणाम यह है कि जहाँ पुलिस प्रकरण में संज्ञान लिया जा चुका हो और उसके पश्चात परिवाद प्रकरण संस्थित किया गया हो, वहाँ दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 210 लागू नहीं होगा तथा मजिस्ट्रेट को विचारण की कार्यवाही स्थगित करने की क्षेत्राधिकार नहीं होगा।यह भी उल्लेखनीय है कि धारा 210 केवल मजिस्ट्रेट द्वारा उसके समक्ष चल रही जांच या विचारण की कार्यवाही को स्थगित करने की शक्ति से संबंधित है और इस प्रावधान का विस्तार इस प्रकार नहीं किया जा सकता कि सत्र विचारण के चरण में सत्र न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर, मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 210 के अंतर्गत प्रयोग की जाने वाली शक्ति का उपयोग कराया जा सके, विशेषकर ऐसी स्थिति में जब विचारण लंबित के दौरान मजिस्ट्रेट के समक्ष कोई परिवाद दायर किया गया हो।इस न्यायालय द्वारा अपनाया गया यह दृष्टिकोण निम्नलिखित प्रकरणों में दिए गए निर्णयों से भी समर्थित है कल्याण एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य[4] तथा सिडांन एवं

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

[4] 1990 क्रि.ला. ज.(इलाहाबाद)

अन्य बनाम केरल राज्य एवं अन्य[5] , बीरेंद्र कुमार शर्मा उर्फ बीरेंद्र कुँवर बनाम बिहार राज्य एवं अन्य[6] गोविंदा चंद्र बोरा बनाम अमल कुमार बरपुजारी[7] , नुनाराम एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य[8] तथा प्रफुल्ल बेहरा एवं अन्य बनाम राज्य एवं अन्य[9] ।

15. केरल उच्च न्यायालय की पूर्णपीठ ने भी नातेशन बनाम पीताम्भरन[10] के प्रकरण में यह अवलोकन करते हुए वही दृष्टिकोण अपनाया है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 210 उस प्रकरण पर लागू नहीं होती, जहाँ पुलिस द्वारा आरोप-पत्र प्रस्तुत किए जाने के पश्चात कोई पीड़ित व्यक्ति उसी घटना के संबंध में थोड़े भिन्न विवरण के साथ अथवा पुलिस आरोप-पत्र में अभियुक्त के रूप में दर्शाए गए व्यक्तियों से अधिक व्यक्तियों को अभियुक्त बनाते हुए दांडिक न्यायालय के समक्ष निजी परिवाद प्रस्तुत करता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि विपरीत स्थिति में, अर्थात् जहाँ आरोप-पत्र पहले ही प्रस्तुत हो चुका हो और उस पर संज्ञान भी लिया जा चुका हो तथा उसके पश्चात निजी परिवाद प्रस्तुत किया गया हो, तब भी दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 210 लागू होगी और मजिस्ट्रेट को धारा 210 की उपधारा (2) में निहित प्रावधानों का सहारा लेने का अधिकार होगा– यह तर्क

---

[5] 1986 क्रि.ला.ज. 470 (केरल)

[6] 2000 क्रि.ला.ज. 145 (पटना)

[7] 1995 क्रि.ला.ज. 1756 (गौहाटी)

[8] 1993 क्रि.ला.ज. 1274 (राजस्थान)

[9] 2003 (3) क्रि.415 (उड़ीसा)

[10] 1984 क्रि.ला.ज. 324 (केरल)

नामाथोटी (पूर्वेत) के प्रकरण में दिए गए निर्णय पर आधारित है।प्रथम दृष्टया, उक्त निर्णय ऐसी स्थिति से संबंधित था जो वर्तमान प्रकरण के तथ्यात्मक पक्ष से भिन्न है। उस मामले में परिवाद प्रकरण लंबित था तथा उसी घटना के संबंध में पुलिस द्वारा विवेचना भी जारी थी, जिसके संबंध में परिवाद प्रस्तुत किया गया था; किन्तु मजिस्ट्रेट ने आगे दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 210 की उपधारा (1) में निहित प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही नहीं की थी। वह ऐसा मामला नहीं था जिसमें प्रकरण पहले ही विचारण हेतु सत्र न्यायालय को उपार्पण किया जा चुका हो और उसके पश्चात परिवाद प्रकरण दायर किया गया हो।याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क के समर्थन में प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत दिलावर सिंह (पूर्वीक) भी उचित नहीं है। उस प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी यह अवलोकन किया है कि जब किसी परिवाद की जांच या विचारण के दौरान मजिस्ट्रेट के समक्ष यह प्रतीत कराया जाता है कि उसी विषय में पुलिस द्वारा विवेचना लंबित है, तो उसे परिवाद प्रकरण की कार्यवाही को रोक देना चाहिए तथा पुलिस से प्रतिवेदन मंगाना चाहिए। पुलिस से प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात उसे दोनों मामलों को एक साथ विचार करना होगा, और यदि पुलिस प्रतिवेदन पर संज्ञान लिया जा चुका है, तो उसे परिवाद प्रकरण का विचारण पुलिस प्रतिवेदन से संस्थित प्रकरण के साथ उसी प्रकार करना होगा, मानो दोनों प्रकरण पुलिस प्रतिवेदन के आधार पर ही संस्थित किए गए हों।सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया उपर्युक्त अवलोकन याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के तर्क के मूल आधार को ही समाप्त कर देता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. परिणामस्वरूप, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 210 के अंतर्गत सत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया आवेदन स्वयं ही अनुचित था, क्योंकि संहिता की धारा 210 लागू नहीं हीं होता।

अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश वैध प्रतीत नहीं होता और उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

18. प्रस्तुत याचिका गुण दोष रहित है। यह खारिज किये जाने योग्य हैं एवं खारिज किया जाता हैं।

सही/-

मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव

न्यायमूर्ति

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Translated By Ms Mamta Gupta Adv